संख्या-1061/2023/सा0-2296/23-1-23-23-1099/196/2023

प्रेषक,

अजय चौहान,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 12 दिसम्बर, 2023

विषय- प्रदेश के अन्य जिला श्रेणी के मार्गों को प्रमुख जिला मार्ग की श्रेणी में उच्चीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-87कैम्प-प्र0अ0/विकास/07(प्र0स0)/23, दिनांक 14.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उच्चस्तरीय तकनीकी समिति की संस्तुति के आधार पर उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त अन्य जिला मार्गों पर यातायात की सुगमता एवं जनमानस को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के स्वामित्वाधीन अन्य जिला श्रेणी के मार्गों को प्रमुख जिला मार्ग श्रेणी में उच्चीकरण किये जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना निर्णीत हुआ है :-

क. निम्नलिखित मापदंडों में से किसी भी एक मापदंड पर पात्र अन्य जिला मार्ग को प्रमुख जिला मार्ग श्रेणी में उच्चीकृत किया जायेगा:-

i. एक ही संरेखण में एक या एक से अधिक अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग, जिनकी प्रस्तावित सम्मिलित लम्बाई **न्यूनतम 25km** हो तथा यातायात घनत्व 6000 पी.सी.यू. से अधिक हो उन्हें प्रमुख जिला मार्ग श्रेणी में उच्चीकृत किया जायेगा।

ii. न्यूनतम 2 तहसील अथवा 2 से अधिक विकास खण्डो से गुजरने वाले ऐसे मार्ग जिनके दोनों छोर MDR/SH/NH से मिलते हों ।

iii. 15 कि0मी0 से अधिक लम्बाई के निम्नलिखित श्रेणी के मार्ग :-

- दो प्रमुख जिला मार्गों को जोड़ने वाला मार्ग
- राष्ट्रीय राजमार्ग को प्रमुख जिला मार्ग या अन्य जिला मार्ग से जोड़ने वाला मार्ग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- राज्य राजमार्ग को प्रमुख जिला मार्ग या अन्य जिला मार्ग से जोड़ने वाला मार्ग
- दो राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाला मार्ग
- दो राज्य राजमार्ग को जोड़ने वाला मार्ग
- राष्ट्रीय राजमार्ग को राज्य राजमार्ग से जोड़ने वाला मार्ग
- अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी को जोड़ने वाला मार्ग।

ख. उपर्युक्त नीति के आधार पर पात्र अन्य जिला मार्ग से प्रमुख जिला मार्ग श्रेणी के उच्चीकरण प्रस्ताव विभागीय उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति के पश्चात शासन द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे।

ग. उपर्युक्त नीति के आधार पर पात्र अन्य जिला मार्ग से प्रमुख जिला मार्ग के उच्चीकरण प्रस्ताव सृष्टि पोर्टल पर MIS एवं GIS में संशोधन एवं रोड नम्बर निर्गत करते हुए श्रेणी परिवर्तन के आदेश शासन द्वारा निर्गत किये जाने के उपरांत प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

घ. यदि कोई अन्य जिला मार्ग उपर्युक्त मापदंड को पूर्ण नहीं कर रहा है परन्तु मार्ग का श्रेणी उच्चीकरण जनहित में विशिष्ट कारणों से अपरिहार्य है, ऐसे प्रकरणों में प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गए औचित्य के आधार पर शासन द्वारा श्रेणी उच्चीकरण के अनुमोदन के उपरांत श्रेणी परिवर्तन के आदेश शासन स्तर से निर्गत किये जायेगें तथा प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

ड. उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के समस्त प्रस्तावों के विश्लेषण एवं अनुमोदन हेतु विभाग द्वारा पोर्टल विकसित किया जाये ।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त निर्णय का तत्काल प्रभाव से कार्यान्वयन कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय चौहान
प्रमुख सचिव।

संख्या-1061/2023/सा0-2296/23-1-23-23-1099/196/2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
2- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/नियोजन विभाग/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग/नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग/औद्योगिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

एवं अवस्थापना विभाग/उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग/ग्राम्य विकास विभाग /ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/ पंचायती राज विभाग, उ0प्र0शासन।

6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

9- मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

10- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।

11- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।

12- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल निगम, लखनऊ।

13- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।

14- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।

15- लोक निर्माण विभाग के समस्त अनुभाग।

16- वेबमास्टर, लोक निर्माण विभाग।

17- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।